

न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, सहारनपुर।
सरकार बनाम प्रवेज आदि

धारा-115(2),352,351(2) बी.एन.एस.
थाना- सरसावा, सहारनपुर।
मु.अ..सं.संख्या –88/2026

30.03.2026

मु.अ. संख्या-88/2026,अन्तर्गत धारा-115(2),352,351(2) बी.एन.एस. थाना- सरसावा जिला -सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्त **प्रवेज** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का स्थायी निवास है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानती पेश करने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एवं 7 वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त **प्रवेज** द्वारा **25,000 /- रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर अवमुक्त किया जाता है।

ए०सी०जे०एम० – तृतीय
सहारनपुर